उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 13/2026/1382/94-2-2026-700(62)/2023
लखनऊ, दिनांक : 12 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा विलेखों पर, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-1 में यथा उल्लिखित औसत वार्षिक किराये की धनराशि वाले पट्टा विलेखों के वर्गों और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2(क), 2(ख) और 2(ग) में उल्लिखित धनराशि से अधिक प्रभार्य **स्टाम्प शुल्क** से छूट देते हैं:

परन्तु यह कि पूर्वोक्त छूट किसी भी प्रकार के टोल पट्टा और खनन पट्टा पर लागू नहीं होगी।

अनुसूची

क्र० सं०	**औसत वार्षिक किराये की धनराशि (रु०)**	**प्रभार्य अधिकतम स्टाम्प शुल्क**		
		01 वर्ष तक	**01 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक**	**05 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक**
	1	**2(क)**	**2(ख)**	**2(ग)**
1.	**₹2,00,000/- तक**	रु० 1,000	रु० 2,000	रु० 4,000
2.	**₹2,00,000/- से अधिक और ₹6,00,000/- तक**	रु० 3,000	रु० 6,000	रु० 8,000
3.	**₹6,00,000/- से अधिक और ₹10,00,000/- तक**	रु० 4,500	रु० 10,000	रु० 13,000
4.	**₹10,00,000/- से अधिक**	**(एक)** प्रथम 10,00,000/- पर उपर्युक्त क्रम संख्या **3.** के अनुसार **और** **(दो)** अवशेष धनराशि पर, अनुसूची एक-ख के अनुच्छेद-35 के सुसंगत उपखण्ड में विनिर्दिष्ट दर से **उपर्युक्त (एक) तथा (दो) का योग**		

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 13/2026/1382(1)/94-2-2026-700(62)/2023 दिनांक : 12 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 13/2026/1382(2)/94-2-2026-700(62)/2023 दिनांक : 12 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
8- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र०।
9- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
10- विधायी अनुभाग-1
11- भाषा अनुभाग-5
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 13/2026/1382/94-2-2026-700(62)/2023, dated : 12 October, 2026 :

NOTIFICATION
Order

No. 13/2026/1382/94-2-2026-700(62)/2023
Lucknow, Dated : 12 October, 2026

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to remit the **stamp duty,** chargeable on lease deeds under Article 35 of Schedule I-B to the aforesaid Act, for the classes of lease deeds having average annual rent amount as mentioned in Column-1 of the Schedule below, in excess of the amount mentioned in Columns-2(A), 2(B) and 2(C) of the said Schedule:

Provided that the aforesaid remission shall not be applicable to any type of toll lease or mining lease.

SCHEDULE

Sl. No.	Average annual rent amount (in Rs.)	Maximum stamp duty chargeable		
		Up to 01 year	Exceeding 01 year and up to 05 years	Exceeding 05 years and up to 10 years
	1	2(A)	2(B)	2(C)
1.	**Up to Rs. 2,00,000/-**	Rs. 1,000	Rs. 2,000	Rs. 4,000
2.	**Exceeding Rs. 2,00,000/- and up to Rs. 6,00,000/-**	Rs. 3,000	Rs. 6,000	Rs. 8,000
3.	**Exceeding Rs. 6,00,000/- and up to Rs. 10,00,000/-**	Rs. 4,500	Rs. 10,000	Rs. 13,000
4.	**Exceeding Rs. 10,00,000/-**	**(i)** On the first Rs. 10,00,000/-, as provided at Serial No. **3.** above; **and** **(ii)** On the balance amount, at the rate specified in the relevant sub-clause of Article 35 of Schedule 1-B. **The Aggregate of (i) and (ii) above.**		

By Order,

Amit Gupta
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।